प्रेस विज्ञप्ति

25.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में 9 स्थानों पर अनास समूह और उसके साझेदारों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह समूह "अंबर टोबैको", "उमदा टोबैको" और "समा फिल्टर खैनी" ब्रांड नामों के तहत तंबाकू प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण में संलग्न है।

यह तलाशी विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी कि नागरिया परिवार (अनास समूह और उसके साझेदार) के सदस्यों के पास विदेशों में कई संपत्तियां (दुबई के पॉश इलाकों में और दुबई में विभिन्न व्यवसायों में निवेश) हैं, जिनके लिए धन हवाला/अवैध चैनलों और अनधिकृत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशों में भेजा गया था।

तलाशी के परिणामस्वरूप, 1.01 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, लगभग 33.34 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा, 1.6 किलोग्राम वजन की 16 सोने की छड़ें (बाजार मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपये) और लगभग 80 किलोग्राम वजन की 168 चांदी की छड़ें (बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपये) जब्त की गईं। इसके साथ ही, अनस समूह के साझेदारों/परिवार के सदस्यों से जुड़ी दुबई में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड भी जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।



